बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ,आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

कार्यालय आदेश

निगम मुख्यालय के दो सदस्यीय आंतरिक जॉच दल के प्रतिवेदन दिनांक 19.02.18 में श्री निर्मल कुमार राय, तत्कालीन प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेगुसराय के पदस्थापन अवधि में निगम मुख्यालय पत्रांक 10901 दिनांक 14.10.10 के आलोक में गोदामों का निरीक्षण ससमय नहीं करने के कारण सहायक प्रबंधकों द्वारा 63,065.65क्वीं0 खाद्यान्न जिसका सन्निहित मुल्य 17,60,80,064.00(सतरह करोड़ साठ लाख अस्सी हजार चौसठ)रू0 है,का गबन का मामला प्रकाश में आया, जिसके लिए श्री राय से निगम मुख्यालय पत्रांक 12955 दिनांक 18.12.18 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री राय द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 25.12.18 को समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त असंतोषजनक पाया गया।

श्री राय के बेगुसराय पदस्थापन अवधि में निगम मुख्यालय पत्रांक 10901 दिनांक 14.10.10 के आलोक में गोदामों का निरीक्षण ससमय नहीं करने के कारण चार सहायक प्रबंधकों द्वारा 63,065.65क्वीं0 खाद्यान्न जिसका सन्निहित मुल्य 17,60,80,064.00(सतरह करोड़ साठ लाख अस्सी हजार चौसठ)रू0 है, गबन करने में सफल रहे, जिसमें इनके संलिप्तता, प्रशासनिक विफलता तथा निगम निदेशों की अवहेलना संबंधी आरोप के लिए इनके विरूद्ध निगम मुख्यालय के पत्रांक 6811 दिनांक 01.07.19 के द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लेते हुए संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राय के विरूद्ध गठित उक्त आरोप के लिए गठित आरोप पत्र के आलोक में विस्तृत जॉच करते हुए आरोपी पदाधिकारी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए अपना जॉच प्रतिवेदन गै0स0प्रे0सं0 3730 दिनांक 09.05.20 के द्वारा समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने संचालन प्रतिवेदन में निम्न तथ्य अंकित किया गया है –

1. **बेगुसराय पदस्थापन अवधि में निगम मुख्यालय पत्रांक 10901 दिनांक 14.10.10 के आलोक में गोदामों का निरीक्षण ससमय नहीं करने के फलस्वरूप चार सहायक प्रबंधकों द्वारा 63,065.65क्वीं0 खाद्यान्न जिसका सन्निहित मुल्य 17,60,80,064.00(सतरह करोड़ साठ लाख अस्सी हजार चौसठ)रू0 है, गबन करने में सफल रहे, जिसमें इनके संलिप्तता, प्रशासनिक विफलता तथा निगम निदेशों की अवहेलना संबंधी आरोप–**

"श्री राय बेगुसराय जिला में प्रभारी जिला प्रबंधक के पद पर दिनांक 27.3.15 से 25.8.15 तक पदस्थापित रहे है। श्री राय के विरूद्ध आरोप पत्र दो सदस्यीय जॉच टीम के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 19.2.18 के आधार पर बेगुसराय जिलान्तर्गत विभिन्न गोदामो में पायी गयी खाद्यान्नों के क्षति/गबन के लिए संलिप्तता एवं प्रशासनिक विफलता संबंधी आरोप के लिए आरोप पत्र गठित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन की अवलोकन से प्रतीत होता है कि जॉच प्रतिवेदन में श्री राय का संलिप्तता संबंधी कोई जिक्र नहीं किया गया है तथा गोदाम के भंडारण से संबंधित पंजियों/अभिलेखो की जो जॉच की गयी है उसमें अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 अंकित है।

आंतरिक जॉच प्रतिवेदन के कंडिका 2 में उल्लेख किया गया है कि "श्री अरविन्द कुमार मिश्रा,जिला प्रबंधक, बेगुसराय के रूप में माह अगस्त 2015 रो लेकर अब तक पदस्थापित है। श्री मिश्रा के कार्यकाल में विभिन्न गोदाम प्रबंधकों द्वारा कुल 63,065.65क्वीं0 खाद्यान्न का गबन किया गया, जिसमें निगम को कुल 17.60 करोड़ रू0 की आर्थिक क्षति हुई है"। श्री राय बेगुसराय जिला में दिनांक 27.3.15 से 25.8.15 तक पदस्थापित रहे है।

इस प्रकार समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि बेगुसराय जिलान्तर्गत विभिन्न गोदामों में पायी गयी कुल 63,065.65 क्वीं0 खाद्यान्न क्षति/गबन जिसका सन्निहित मूल्य 17,60,80,064.00रू0 होता

है, में श्री राय की संलिप्तता प्रतीत नहीं होती है। निगम मुख्यालय के पत्रांक 10901 दिनांक 14.10.10 द्वारा सभी जिला प्रबंधकों को जिला प्रबंधक कार्यालय में अभिलेखों एवं विभिन्न पंजियों के संधारण हेतु दिशा–निर्देश निर्गत है जिसे कंडिका 8 में यह स्पष्ट निदेश दिया गया है कि जिला प्रबंधक प्रत्येक माह में कम–से–कम तीन गोदाम का भ्रमण कर गोदाम में भंडारित खाद्यान्नों का भौतिक सत्यापन (बोरों की गिनती कर)भंडार पंजी में दर्शायी गयी अंतिम शेष की मात्रा से मिलान करते हुए भंडार पंजी पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक अगले माह में अन्य तीन गोदामों का भ्रमण कर उक्त प्रक्रिया पूरी करेंगे। आरोपी पदाधिकारी श्री राय बेगुसराय जिलान्तर्गत लगभग 5 माह कार्यरत रहे है,लेकिन इनके द्वारा गोदाम निरीक्षण करने से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं समर्पित किया गया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इन्होंने निगम द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में गोदाम का निरीक्षण किया हो।

श्री राय के द्वारा मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में यदि गोदामों का निरीक्षण ससमय करते तो उक्त क्षति/गबन प्रकाश में आ जाता तथा निगम को आर्थिक क्षति होने से बचाया जा सकता था।"

श्री राय के विरूद्ध प्रमाणित उक्त आरोप के लिए निगम पत्रांक 4072 दिनांक 21.05.20 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। आरोपी पदाधिकारी श्री राय द्वारा उक्त के आलोक में अपना द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक 07.10.20 को समर्पित किया गया जिसमें इनके द्वारा पूर्व की बातों को ही दुहराया गया तथा कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त मामले में दोषी सहायक प्रबंधकों के विरूद्ध निम्न कार्रवाई की गयी है–

क्र0	गोदाम प्रबंधकों का नाम	गोदाम का नाम	खाद्यान्न गबन की मात्रा (क्वीं0 में)	राशि	दर्ज प्राथमिकी का पत्रांक /दिनांक	वाद संख्या एवं तिथि	दर्ज निलामवाद सं0
1	श्री निर्मल कुमार सहाय	खोदावन्तपुर	13537.51	3,74,94,512.57	2731/01.10.16	125/16 दिनांक 04.10.16	05/2017–18
2	श्री कृष्णा चौधरी	बरौनी	10089.44	2,65,48,994.23	3076/02.11.16	394/16 दिनांक 04.11.16	04/2017–18
3	श्री वासुदेव दास	भगवानपुर	5917.92	1,65,07,398.54	855/30.03.17	43/17 दिनांक 01.04.17	01/2017–18
4	श्री वासुदेव दास	बखरी	8693.49	2,04,63,298.26	853/30.03.17	65/17 दिनांक 01.04.17	03/2017–18
5	श्री वासुदेव दास	चे0 बरियारपुर	11221.11	3,15,18,968.18	854/30.03.17	55/17 दिनांक 01.04.17	02/2017–18
6	श्री योगेश्वर लाल दास	बाजार समिति, बेगुसराय	13606.18	4,35,41,849.04	86/13.01.18	28/18 दिनांक 14.01.18	09/2017–18
		कुल–	63065.65	17,60,75,020.82			

31/3/21

इस प्रकार संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर आरोपी पदाधिकारी श्री निर्मल कुमार राय द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त स्पष्ट होता है कि श्री राय द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ससमय नहीं किया गया है। श्री राय द्वारा निगम मुख्यालय पत्रांक 10901 दिनांक 14.10.10 के आलोक में यदि समय–समय पर निरीक्षण किया जाता तो इतनी बड़े पैमाने पर गबन की घटना नहीं घटती।

अतः श्री राय को उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निगम के सर्विस कंडक्ट एवं डिसीप्लीनरी रूल्स के नियम 26(iii) 'A' के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है–

1. श्री राय को निगम से मिलने वाले सेवान्त लाभ के मद में अव्यवहृत अवकाश के बदले नगद राशि एवं उपादान को जब्त किया जाता है।

ह0/–
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक :3:02:28:01:2021: 3696 दिनांक – 31.5.2021

प्रतिलिपि–श्री निर्मल कुमार राय,सहायक प्रबंधक(सेवा निवृत)–सह–तत्कालीन प्रभारी जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,बेगुसराय–सह–तत्कालीन अपर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम, किशनगंज/बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला प्रबंधक, किशनगंज को निदेशित है कि उक्त शास्ति की प्रविष्टि इनके सेवापुस्त में की जाय।

प्रतिलिपि–सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक,निगम मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी महाप्रबंधक/सतर्कता पदाधिकारी,निगम मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी मुख्य महाप्रबंधक,निगम मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक